राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाइडलाईन/2022–23 3595 **जयपुर दिनांक :** 18 NOV 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, CMREGS एवं
जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

विषय :–मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) श्रमिक नियोजन किये जाने के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 में महात्मा गांधी नरेगा योजनार्न्तगत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार राज्य मद से दिये जाने की घोषणा की गयी है। इसी प्रकार बारां जिले में निवासरत "सहरिया एवं खैरूआ" तथा उदयपुर जिले में निवासरत "कथौडी" जनजाति परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने हेतु घोषणा की गई है।

उपरोक्त दोनों बजट घोषणाओं को समाहित करते हुये पूर्णतः राज्य मद से संचालित मुख्यमंत्री **ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS)** से मनरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त परिवारों को 25/100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है।

उक्त नवीन योजना से सम्बन्धित दिशा--निर्देश जारी किये जा चुके है। श्रमिक नियोजन के क्रम में उपयुक्त एवं पर्याप्त संख्या में कार्यो की उपलब्धता हेतु वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन हेतु जारी कलेण्डर अनुसार वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुमोदन का कार्य सम्पन्न हो चुका है। योजना के सुचारू क्रियान्वयन व योजना संबंधी जानकारी प्रदान किये जाने की दृष्टि से जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों/कार्मिकों/सरपंचों का आमुखीकरण सम्पन्न हो चुका है। योजना के संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु ई–पंचायत पोर्टल में पृथक से सॉफ्टवेयर विकसित कर सम्बन्धित कार्मिकों को पोर्टल संबंधी जानकारी दी जा चुकी है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राज्य के लगभग 80,000 परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष के आगामी पखवाडों में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की सख्या में तेजी से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को अतिरिक्त 25/100 दिवसों का रोजगार वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2023) के अंत तक उपलब्ध करवाया जाना है।

E:\MUKESH\2022-23\CMREGSR\CMR EGS LETTER.docx 29

Scanned with CamScanner

अतः मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों को जॉबकार्डस जारी करने, कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने एवं कार्यों पर श्रमिक नियोजन किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करावें। इस हेतु योजना से सम्बन्धित जिला/ ब्लॉक/ ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों/कार्मिकों को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें। इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करावें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस, मुख्यालय।
7. श्री मुकेश वर्मा, ए.सी.पी., ग्रामीण विकास विभाग को सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं के निराकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री रिंकू छीपा, प्रोग्रामर, ईजीएस को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

L:\MUKESH\2022-23\CMREGSR\CMR EGS LETTER.docx 30

Scanned with CamScanner